क्रम-संख्या–272 (क–35)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–1

संख्या 2528 / 9-1–2020-53 टी0ए0-16
लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–512

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सूजाबाद, जिला वाराणसी का गठन करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2470 / 9-1–2019-53टी0ए0-16, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग 9–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत सूजाबाद, जिला वाराणसी के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

प्रस्तावित नगर पंचायत सूजाबाद, जिला वाराणसी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्याओं का विवरण
1	सूजाबाद	01 से 1017
2	डोमरी	01 से 1028

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2528/IX-1–2020-53T.A.-16, dated December 20, 2020:

No. 2528/IX-1–2020-53T.A.-16

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS Government notification no. 2470/IX-1–2019-53T.A.-16, dated November 28, 2019 was issued and published in the *Gazette* dated November 28, 2019 with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification to declare the transitional area for the constitution of Nagar Panchayat Sujabad, district Varanasi as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Sujabad in district Varanasi.

SCHEDULE

Area being included in proposed Nagar Panchayat Sujabad in district Varanasi

Sl. No.	Name of Village	Detail of Gata Nos.
1	Sujabad	01 to 1017
2	Domari	01 to 1028

By order,

DEEPAK KUMAR,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 605 राजपत्र–2021–(1213)–599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

605 RPH 2021 (Nagar Vikas-1) Data 4e